निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 639) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

11 मई 2015

सं0 22 / नि0सि0(दर0)–16–13 / 2011 / 1065—श्री विनय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल सं0–01, राजनगर द्वारा अपने उक्त पदस्थापन के दौरान बरती गई कतिपय अनियमितताओं के संबंध में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा द्वारा पत्रांक 1715 दिनांक 10.08.11 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। जिसमें पाया गया कि नहर का रूपांकित जलश्राव 4950 घनसेक के विरूद्ध मात्र 1200 घनसेक जलश्राव में ही नहर का दायॉ भाग का टूटान हो गया। अतः नहर के जलश्राव के समय चौकसी एवं निगरानी नहीं बरतने, कर्त्तव्यहीनता एवं लापरवाही के कारण नहर टूटने इत्यादि प्रथम दृष्टया प्रमाणित गंभीर आरोपों के लिए श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 (1) के तहत अधिसूचना संख्या 1293 दिनांक 17.10.2011 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तत्पश्चात विभागीय संकल्प सह पठित ज्ञापांक 1606 दिनांक 27.12.2011 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

विभागीय कार्यवाही के क्रम में पाया गया कि श्री कुमार, सहायक अभियंता को निलंबन अवधि दो वर्ष से अधिक हो गई है जबकि दो वर्ष से अधिक निलंबन नहीं होना चाहिए। अतः विभागीय कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना श्री कुमार को निलंबन मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में अधिसूचना सं0 1403 दिनांक 22.09.14 द्वारा श्री कुमार को निलंबन मुक्त किया गया।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि जॉच प्रतिवेदन में कई तथ्यात्मक समीक्षा किये बिना मात्र अस्पष्ट निर्णय अंकित किया गया। अतः जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया। सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में पत्रांक 1868 दिनांक 05.12.14 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाया गयाः–

1. नहर बॉध में हो रहे रिसाव को ससमय नहीं देखना तथा रिसाव को ससमय रोकने हेतु कोई कार्रवाई नहीं करने के फलस्वरूप नहर में टूटान होना फलतः टूटान भराई में सरकारी राशि का अपव्यय होना।

2. अधीनस्थ कनीय अभियंता एवं प्रतिनियुक्त कर्मियों पर नियंत्रण का अभाव।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री कुमार को निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गयाः–

1. दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

2. निलंबन अवधि में देय वेतन भत्ता के अतिरिक्त कोई भी राशि देय नहीं होगा परन्तु निलंबन अवधि का पेंशन प्रयोजनार्थ गणना की जाएगी।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में उक्त दण्ड श्री विनय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल सं0–01, राजनगर को दिया एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 639-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in